



## प्रेस नोट थाना मलपुरा जनपद आगरा

थाना क्षेत्र में लगातार चोरी की बारदातों को अन्जाम देने वाले 06 शातिर अभियुक्तों को स्वाट टीम व थाना मलपुरा पुलिस टीम द्वारा किया गया गिरफ्तार, कब्जे से भारी मात्रा में चोरी का सामान बरामद...

दिनांक 30.05.2021 को वादी प्रमोद सिंह पुत्र गोविन्द सिंह नि० ककुआ थाना मलपुरा जनपद आगरा द्वारा थाना मलपुरा पर तहरीर दी गयी कि मैं एम०बी० नेशनल स्कूल में चौकीदारी करता हूँ। दिनांक 29.05.2021 को शाम को घर से स्कूल में आया तो वहां पहले से मौजूद कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा मेरे साथ मारपीट करते हुए मेरे हाथ पैर बांध दिये और स्कूल से लाइट बैटरी, 01 डीवीआर एवं जनरेटर का डायनुमा चोरी कर ले गये एवं सीसीटीवी कैमरों को तोड़ गये थे। इस सम्बन्ध में थाना मलपुरा पर मु०अ०सं० 223/21 धारा 382/427 भादवि पंजीकृत किया गया था।

उपरोक्त घटना के शीघ्र अनावरण व संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा द्वारा दिये गये आदेशानुसार, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पश्चिमी आगरा के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी अछनेरा के सफल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी मलपुरा को टीम गठित कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इसी क्रमानुसार दिनांक 13.06.2021 को गठित पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन हेतु हुएजखौरा पुल पर चैकिंग की जा रही थी। चैकिंग के दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गयी कि आज से 15 दिन पहले सैंतिया स्टेट में स्थित एक स्टोर तथा कबूलपुर स्कूल में नकबजनी कर बैटरी, डीवीआर, जनरेटर, डायनमों आदि सामान को चोरी करने वाले अभियुक्त दो मोटरसाइकिलों से बमरौली अहीर से जखौदा की तरफ आने वाले हैं, यदि जल्दी की जाये तो गिरफ्तार किये जा सकते हैं।

## पुलिस टीम द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण :-

मुखबिर की सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुये पुलिस टीम द्वारा तत्काल बताये स्थान के पास केला देवी ढाबा के पास योजना के अनुसार आड़ में खड़े होकर अभियुक्तों का इन्तजार करने लगे। कुछ समय बाद मो०सा० आती हुयी दिखायी दी पुलिस टीम द्वारा तत्काल रुकने का इशारा किया गया। पुलिस टीम को देख अभियुक्तगण सकपका गये और मोटरसाइकिल मोड़कर भागने का प्रयास करने लगे, इस हड़बड़ाहट में दोनों मो०सा० गिर गयी और सभी पैदल भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा अत्यन्त साहस के साथ चारों ओर से घेरघोट कर पांचों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 02 मो०सा०, 06 अदद पानी की टॉटी, 01 अदद सबमर्सिबल पुरानी बरामद हुआ।



## पूछताछ का विवरण :-

पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करने पर अपना नाम 01. शिशुपाल उर्फ चंगो, 02. धर्मवीर पुत्र चन्दन सिंह, 03. श्यामवीर पुत्र मोहन सिंह, 04. राजकुमार उर्फ भोपा पुत्र रामखिलाड़ी व 05. दिगम्बर उर्फ दिग्गो पुत्र रोशनलाल बताया गया। अभियुक्त गण द्वारा बरामद सामान के सम्बन्ध में बताया गया कि हम सभी अलग-अलग टीमों बनाकर और कभी-कभी बड़ा माल होने पर एक साथ चोरियां करते हैं और चोरी का अधिकतम माल कबाड़ी विककी पुत्र पप्पू नि० रोडवेज कालौनी को बेचते हैं, जिसे कल ही हमने चोरी का माल बेचा है। बरामद मो०सा० एचएच डीलक्स अभि० शिशुपाल की है जो चोरियां करने में प्रयोग करता है।

## अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी :-

पुलिस टीम द्वारा तत्काल अभियुक्तगण द्वारा बताये स्थान पर पहुंच एक बारगी दबिश देते हुए अभि० विककी को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ करने पर माल खरीदने को स्वीकार करते हुए चोरी को बरामद कराया गया, जिसमें तांबा तार 88 किलो 590 ग्राम, 01 केबिल व कोइल 20 किलो 800 ग्राम, 01 लोहे की रॉड, 02 अदद बैटरी बरामद हुये।

## अभियुक्तगण द्वारा की गयी चोरियों का विवरण :-

**01.** बरामद मो०सा० पैशन प्लस शिशुपाल, राजकुमार और श्यामवीर द्वारा कुछ दिन पहले गांव लच्छीपुरा के पास डूडीपुरा से लादूखेड़ा वाली रोड से चोरी की थी। इस सम्बन्ध में थाना सैंया पर मु०अ०सं० 79/21 धारा 379 भादवि पंजीकृत है।

**02.** बरामद टोंटियां व समर पांचों द्वारा सैंथिया स्टेट भोगलपुरा के स्टोर रूम से चोरी की थी इसके साथ 01 लोहे का वेट और तार भी चोरी किया था। जिसको औने पौने दाम में बेचकर रूपये खर्च कर लिये थे। इस सम्बन्ध में थाना मलपुरा पर मु०अ०सं० 217/21 धारा 457/380 भादवि पंजीकृत है।

**03.** बरामद तांबे का तार, केबिल को रजपुरा में बन्द पड़े कोल्ड स्टोर से में लगे ट्रांसफार्मर से चोरी किया था। इस सम्बन्ध में थाना सैंया पर मु०अ०सं० 95/21 धारा 379 भादवि पंजीकृत है।

**04.** बरामद बैटरियां, जनरेटर का डायनमा कबूलपुर स्कूल से चोरी किया था। इस सम्बन्ध में थाना मलपुरा पर मु०अ०सं० 223/21 धारा 382/427 भादवि पंजीकृत

## गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

01. शिशुपाल उर्फ चंगो पुत्र बनवारी उर्फ चंगो नि० हिरौड़ा थाना सैंया आगरा।
02. धर्मवीर पुत्र चन्दन सिंह कबूलपुर थाना मलपुरा जनपद आगरा।
03. श्यामवीर पुत्र मोहन सिंह नि० हिरौड़ा थाना सैंया आगरा।
04. राजकुमार उर्फ भोपा पुत्र रामखिलाड़ी नि० हिरौड़ा थाना सैंया आगरा।



05. दिगम्बर उर्फ दिग्गो पुत्र रोशनलाल कबूलपुर थाना मलपुरा जनपद आगरा।
06. विक्की पुत्र पप्पू नि० रोडवेज कालौनी थाना जगदीशपुरा जनपद आगरा।

## ✚ बरामदगी का विवरण

01. 02 मोटरसाइकिल (01 चोरी की एवं 01 चोरी में प्रयुक्त)।
02. 06 अदद पानी की टॉटी।
03. 01 अदद सबमर्सिबल पुरानी।
04. तांबा तार 88 किलो 590 ग्राम।
05. 01 केबिल व कोइल 20 किलो 800 ग्राम।
06. 01 लोहे की रॉड।
07. 02 अदद बैटरी।

## ✚ आपराधिक इतिहास का विवरण :-

### अभियुक्त शिशुपाल का आपराधिक इतिहास :-

01. मु०अ०सं० 50/07 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना सैया आगरा।
02. मु०अ०सं० 49/07 धारा 307 भादवि पु०मु० थाना सैया आगरा।
03. मु०अ०सं० 37/07 धारा 379/411 भादवि थाना सैया आगरा।
04. मु०अ०सं० 26/07 धारा 452/323 भादवि थाना सैया आगरा।
05. मु०अ०सं० 23/07 धारा 457/380 भादवि थाना सैया आगरा।
06. मु०अ०सं० 21/07 धारा 457/380/411 भादवि थाना सैया आगरा।
07. मु०अ०सं० 07/07 धारा 457/380 भादवि थाना सैया आगरा।
08. मु०अ०सं० 269/06 धारा 457/380/411 भादवि थाना सैया आगरा।
09. मु०अ०सं० 942/09 धारा 457/380 भादवि थाना सदर आगरा।
10. मु०अ०सं० 706/09 धारा 457/380/411 भादवि थाना सदर आगरा।
11. मु०अ०सं० 79/21 धारा 379 भादवि थाना सैया आगरा।
12. मु०अ०सं० 217/21 धारा 457/380 भादवि थाना मलपुरा आगरा।
13. मु०अ०सं० 95/21 धारा 379 भादवि थाना सैया आगरा।
14. मु०अ०सं० 223/21 धारा 382/427 भादवि थाना मलपुरा आगरा।

### अभि० राजकुमार का आपराधिक इतिहास :-

15. मु०अ०सं० 137/14 धारा 136 वि०अ० 379 भादवि थाना सैया आगरा।
16. मु०अ०सं० 139/14 136 वि०अ० 379 भादवि थाना सैया आगरा।
17. मु०अ०सं० 152/14 धारा 179/411 भादवि थाना सैया आगरा।
18. मु०अ०सं० 177/14 धारा 302/307/323 भादवि थाना सैया आगरा।
19. मु०अ०सं० 178/14 धारा 136/379/411 भादवि थाना सैया आगरा।



20. मु0अ0सं0 204 / 14 धारा 379 / 411 भादवि थाना सैंया आगरा ।
21. मु0अ0सं0 706 / 14 धारा 380 / 457 भादवि थाना सैंया आगरा ।
- 22 मु0अ0सं0 224 / 19 धारा 379 411 भादवि थाना सदर आगरा ।
11. मु0अ0सं0 79 / 21 धारा 379 भादवि थाना सैंया आगरा ।
12. मु0अ0सं0 217 / 21 धारा 457 / 380 भादवि थाना मलपुरा आगरा ।
13. मु0अ0सं0 95 / 21 धारा 379 भादवि थाना सैंया आगरा ।
14. मु0अ0सं0 223 / 21 धारा 382 / 427 भादवि थाना मलपुरा आगरा ।

## अन्य का आपराधिक इतिहास

01. मु0अ0सं0 79 / 21 धारा 379 भादवि थाना सैंया आगरा ।
02. मु0अ0सं0 217 / 21 धारा 457 / 380 भादवि थाना मलपुरा आगरा ।
03. मु0अ0सं0 95 / 21 धारा 379 भादवि थाना सैंया आगरा ।
04. मु0अ0सं0 223 / 21 धारा 382 / 427 भादवि थाना मलपुरा आगरा ।

## ✚ गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

01. निरीक्षक श्री नरेन्द्र सिंह प्रभारी सर्विलासं टीम जनपद आगरा ।
02. थानाध्यक्ष श्री अरुण कुमार बालियान थाना मलपुरा जनपद आगरा ।
03. उ0नि0 श्री अजय कुमार प्रभारी स्वाट टीम जनपद आगरा ।
04. उ0नि0 विधानचन्द्र थाना मलपुरा जनपद आगरा ।
05. उ0नि0 अनुज कुमार सिरोही थाना मलपुरा जनपद आगरा ।
06. उ0नि0 सुशील पवार थाना मलपुरा जनपद आगरा ।
07. उ0नि0 विवेक कुमार थाना मलपुरा जनपद आगरा ।
08. हे0का0 आदेश त्रिपाठी, हे0का0 करनवीर, हे0का0 दीपक कुमार, हे0का0 प्रशान्त, हे0का0 अरुण कुमार, का0 राजकुमार, का0 अजीत कुमार सर्विलांस टीम जनपद आगरा ।
09. का0 मुकुल शर्मा, का0 धर्मेन्द्र कुमार, का0 अजय सिंह, का0 अमित कुमार, का0 शुभम सारस्वत, का0 अनूप कुमार, का0 राकुल, का0 श्याम, का0 भानूप्रतापसिंह स्वाट टीम आगरा ।
10. हे0का0 विनोद कुमार, हे0का0 ब्रह्मप्रकाश, हे0का0 रजनेश कुमार, का0 मनु गौतम, का0 मौ0 आसिफ थाना मलपुरा जनपद आगरा ।

मीडिया सेल जनपद आगरा ।

